न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 3, औरैया ।

C.N.R. No. ; UPAU010012252023

विशेष सत्र परिवाद संख्या : 259/2022 ; रामभरोसे (66 वर्ष वर्तमान में)

धारा : अभी तलबी नही हुई है । ; बनाम

थाना : अयाना । ; सत्यपाल सिंह आदि ।

जिला : औरैया ।

–

11–06–2026

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर परिवादी रामभरोसे पूर्व की भांति आज भी अनुपस्थित है । परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता भी नही आये और परिवादी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया और न ही समय चाहने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी रामभरोसे द्वारा यह परिवाद दिनाँक 20–03–2023 को न्यायालय मे दायर किया गया था । परिवादी द्वारा स्वयं के ब्यान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय मे लेखबद्ध कराये गये परन्तु धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी साक्षी को न्यायालय मे पेश नही किया गया जिस कारण न्यायालय द्वारा परिवादी का उक्त अवसर समाप्त किया गया और पत्रावली बहस तलबी हेतु नियत की गयी परन्तु पिछली अनेक नियत तिथियो से परिवादी लगातार गैर हाजिर चल रहा है और परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित नही आ रहे है और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है । न्यायालय द्वारा परिवादी को तलबी बहस किये जाने हेतु न्यायहित मे आज के लिये अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था जिसका लाभ परिवादी द्वारा नही उठाया गया जिस कारण परिवादी का बहस तलबी करने का अवसर समाप्त किया जाता है । परिवादी की लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि परिवादी को अपने इस परिवाद मे अब कोई रुचि नही रह गयी है । अतः ऐसी दशा मे परिवादी का यह परिवाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निरस्त किया जाने योग्य है ।

आदेश

परिवादी रामभरोसे का यह परिवाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निरस्त किया जाता है ।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल–अभिलेखागार की जाये ।

(महेश कुमार)
{विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 3, औरैया ।}
[J.O. UP 6484]

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.06.11 12:48:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court